FORM NO. 111

फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस

उनवान नानूराम बनाम बिमलादेवी वगै0

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र बाजदायरी मु.न 13 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13.08.2025	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिछपाल बाजिया हाजिर। प्रतिवादी सं0–1 की ओर से वकील श्री राजेश थेबड़ हाजिर। शेष अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नही आया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी का वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जबाब नही दिया जाकर सीधी ही बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.09.2014 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। किन्तु दिनांक 01.08.2025 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज कर दिया गया जबकि प्रार्थना प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद अभी भी विचाराधीन होकर दिनांक 27.08.2025 नियत है। मामला अचल सम्पत्ति का है। अतः न्याय हित मे प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार कर किया जावे व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 243/2023 को पुनः नम्बर पर लिया जाने (रिस्टोर किया जाने) का आदेश फरमाया जावे। जबाब में वकील प्रतिवादी सं0–1 द्वारा विरोध प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र को खारीज फरमानें का निवेदन किया। हमने बहस उभय पक्षकारान सुनी व बहस पर मनन किया। मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में शेष अप्रार्थीगण की तामिल नही हो पायी है। अप्रार्थी सं0 2 ता 10 को जरिये नोटिस तलब कर सुना जाना शेष है। प्रार्थना पत्र टी.आई में भी अप्रार्थीगण सुना जा सकता है। मामला अचल सम्पत्ति का होकर आवश्यक प्रकृति का है अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा उक्त मूल प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी नानूराम बनाम बिमलादेवी वगै0 मु0न0 243/2023 को पुनः नम्बर पर लिया (रिस्टोर किया जाता है) जाने का आदेश दिया जाता है। पुनः मूल प्रार्थना पत्र टी.आई पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा शेष पक्षकारान को मूल टी. आई. मे जरिये नोटिस तलब किया जावे। प्रा0 पत्र बाजदायरी फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल प्रा0पत्र के साथ हमफिता हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:31:05 IST
Reason: SelfAttested